बिहार सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 .... / पटना, दिनांक ....

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जी0 एस0 आर0 संख्या 630 (ई0) दिनांक 31.08.01 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 निर्गत किया है जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के कंडिका-7 तथा जी0 एस0 आर0 संख्या 392 (ई0) दिनांक 29.06.04 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)(संशोधन) आदेश, 2004 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व सहमति से, बिहार के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलंबित / रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्त्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण करने के संबंध में निम्नलिखित आदेश देते है :-

अनुज्ञापन की प्रकिया

जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप अब "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किए जायेंगे । जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा किये गये एकरारनामा को समाप्त कर इस आदेश के अन्तर्गत पुराने अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति शुल्क लेकर प्रपत्र-II में विक्रेता को अनुज्ञापत्र छः माह के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा । "बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र-एकीकरण) आदेश, 1984" का कोई भी प्रावधान अब जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकान पर लागू नही होगा ।

2. **अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयन समिति** :- नयी उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र-1 में सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा । अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जॉच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से कराकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा । यह प्रक्रिया पुराने अनुज्ञप्तिधारी पर लागू नही होगी । उनके लिए कंडिका-1 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

अध्यक्ष - जिला पदाधिकारी ।

सचिव - अनुभाजन क्षेत्र के लिए विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना जिला के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा शेष सभी जिला के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

सदस्य - (i) सम्बन्धित अनुमंडल के अनुमण्डल पदाधिकारी ।

(ii) जिला में पदस्थापित अनुसूचित जाति/जन जाति के एक पदाधिकारी ।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी ।

चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी । नयी अनुज्ञप्ति के लिए पूर्व में विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाता था । अब इसकी आवश्यकता नही रहेगी ।

2.1 चयन समिति द्वारा नया उचित मूल्य की दुकान की नियुक्ति के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा :-

(i) वर्ष 2001 ई0 के जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 1350 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1900 की जनसंख्या पर दुकान को नियुक्त करने का प्रतिमान निर्धारित है ।

(ii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचने के लिए अधिकतम दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े ।

(iii) दूरस्थ तथा कठिन आवागमन वाले स्थानों में खासकर अनुसूचित जाति/जन जाति के क्षेत्र में 1000 की आवादी पर भी एक उचित मूल्य की दुकान रखी जा सकती है ।

(iv) दुकान आवंटन में <u>आरक्षण</u> निम्न प्रकार होगा :-

अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	-	01 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	12 प्रतिशत
पिछड़े वर्ग की महिलाएं	-	03 प्रतिशत

उपर्युक्त अनुसार आरक्षण का अनुपालन भविष्य में होने वाले रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा ।

2.2 आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू माना जायेगा ।

2.3 दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जायेगी :-

2.4 - <u>नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये प्राथमिकताएं निम्न प्रकार होगी</u> -

(क) स्वयं सहायता समूह
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) सहकारी समितियाँ
(घ) महिलाएं / महिलाओं की सहयोग समितियां
(च) पूर्व सैनिकों का सहकारी समितियां
(छ) विकलांग
(ज) शिक्षित बेरोजगार
(झ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

[illegible]

(घ) अवयस्क, पागल, विकृतचित, दिवालिया ।

(ड़) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर भविष्य में उन्हें अनुज्ञप्ति नही दी जायेगी ।

(च) किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित हो ।

2.7 दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।

2.8 <u>अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क :-</u>

(क) **अनुज्ञप्तिं शुल्क** :- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा । आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् विहित प्रपत्र - II में आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी जायेगी । कंडिका-1 में उल्लिखित पुराने अनुज्ञप्तिधारी से भी अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चलान के माध्यम से जमा कराया जायेगा और उन्हें प्रपत्र-II में नया अनुज्ञापत्र दिया जायेगा । पुराने अनुज्ञप्तिधारी को प्रपत्र-I में आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नही होगी ।

(ख) **नवीकरण शुल्क** :- अनुज्ञप्ति का नवीकरण पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा । अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र-III में आवेदन एवं नवीकरण शुल्क रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत की जायेगी । नयी अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से पांच वर्ष समाप्त होने पर इसका नवीकरण एक माह के अंदर किया

जायेगा । विलंब शुल्क रू0 50/- (पचास) प्रतिमाह के दर से देय होगा तथा आठ माह के अंदर नवीकृत किया जा सकेगा ।

(i) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति को जिस तिथि में नवीकृत किया जायेगा उसके एक माह के अन्दर सभी अनुज्ञप्तिधारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

(ii) अनुज्ञप्ति निलम्वन की अवधि में अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं होगा । निलम्बन समाप्ति के पश्चात् एक मुश्त नवीकरण शुल्क जमा कराकर अनुज्ञप्ति को नवीकृत किया जायेगा ।

(ग) <u>द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क</u> :- यदि कोई अनुज्ञप्ति विरूपित, गुम या नष्ट हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्काल अनुज्ञापन पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ''द्वितीयक अनुज्ञप्ति" हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क रू0 200/- (दो सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा द्वितीयक अनुज्ञप्ति निर्गत किया जायेगा ।

3. <u>अनुज्ञापन पदाधिकारी की शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

''सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001" के प्रावधानों को लागू कराने के साथ-साथ जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य के विक्रेता को अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकृत करने, पहचान पत्र निर्गत करने, अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्तो, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन कराने, अनुज्ञप्ति को निलंबित करने एवं अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी को प्रदत्त शक्तियाँ किसी अन्य पदाधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जायेगी ।

निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सिर्फ अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा ही उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता से कारणपृच्छा पूछने की कार्रवाई की जायेगी ।

4. <u>अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन</u> -

1. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा**

(i) अनुज्ञप्ति में वर्णित कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का पालन किया जायेगा

(ii) सूचना पट - परिशिष्ट-1 के अनुसार रखा जायेगा ।

(iii) मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट - परिशिष्ट - 2 के अनुसार प्रदर्शित किया जायेगा

(iv) परिशिष्ट - 3 के अनुसार निर्गत पहचान पत्र रखा जायेगा ।

(v) परिशिष्ट - 4 के अनुसार निर्गत पहचान पत्र उनके प्रतिनिधि द्वारा रखा जा सकेगा ।

2. राशन कार्डधारकों को जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान के स्वामी द्वारा भंडार में पड़ी आवश्यक वस्तुओं का, उसकी हकदारी के अनुसार, प्रदाय करने से इनकार नहीं किया जाएगा ।

3. उचित मूल्य की दुकान के स्वामी द्वारा आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय करने के पश्चात् राशन कार्डो को प्रतिधारित नहीं किया जाएगा ।

4. ऐसा कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, ऐसे स्वामी को निर्धारित रू0 10/- (दस) फीस जमा करने के साथ लिखित अनुरोध कर सकेगा ।

प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रस्तुत किया जाना ,

(v) उचित कीमत की दुकान के माध्यम से प्रदान किए जा रहे खाद्य पदार्थों के सेम्पलों का संप्रदर्शन,

(vi) निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों का पेश किया जाना और ऐसी जानकारी प्रस्तुत किया जाना जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय ।

(vii) मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में दिया जाना और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को दिया जाना ।

(viii) सूचना पट पर संप्रदर्शित विहित समय के अनुसार उचित कीमत की दुकानों का खोला जाना और बन्द किया जाना ।

6. <u>जन वितरण प्रणाली की दूकान के स्वामी का कार्य अवधि एवं अवकाश</u> :-

उचित मूल्य की दुकान के दुकानदारों को राजपत्रित अवकाश एवं साप्ताहिक बंदी सोमवार को छोड़कर, माह मार्च से अगस्त तक प्रातः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक तथा माह सितम्बर से फरवरी तक प्रातः 8.00 बजे पूर्वाह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक दुकान खुला रहेगा ।

(6)

अपरिहार्य कारणों से यदि उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता एक सीमित अवधि के लिए दुकान संचालन करने में असमर्थ हो तो उसके द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा । अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कराने के पश्चात् ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता को उक्त अवधि के लिये अनुमति दिया जा सकता है ।

7. <u>अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दकरण :-</u>

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/01 में पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित स्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी :-

Licensees, who

(a) do not keep their shops open throughout the month during the stipulated period,

(b) fail to provide grain to BPL families strictly at BPL rates and no higher,

(c) keep the cards of BPL household with them,

(d) make false entries in the BPL cards,

(e) engage in black marketing or siphoning away grains to the open market and hand over such ration shops to such other person/organisations shall make themselves liable for cancellation of their license. The concerned authorities/functionaries would not show any laxity on the subject.

(ii) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति के शर्तो, कर्तव्यों / उत्तरदायित्वों तथा राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के लिखित आदेश द्वारा निलंबित/रद्द किया जायेगा

(iii) उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत किसी आदेश के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो न्यायालय में जब तक मामला विचाराधीन रहेगा तब तक विक्रेता की अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी ।

(iv) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति का निलंबन करने के पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से कारण पृच्छा पूछना आवश्यक होगा । अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित अनुज्ञप्ति रद्दीकरण के विरूद्ध अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर भी दिया जायेगा ।

(v) अनुज्ञप्ति निलंबन की अधिकतम अवधि 90 दिनों की होगी । इस बीच अनुज्ञप्ति निलंबन से सम्बन्धित अभिलेख निलंबन की तिथि से एक पक्ष के अंदर जिला स्तरीय चयन समिति को भेजी जायगी । चयन समिति द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त विक्रेता की अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा अनुज्ञापन पदाधिकारी को दी जायेगी जिसके अनुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी ।

(vi) किसी भी परिस्थिति में उचित मूल्य की दुकान का आवंटन सीधे बन्द नही किया जायेगा । अनुज्ञप्ति के निलंबन अथवा रद्द होने की

निर्धारित दर एवं मात्रा में वितरित करा कर प्राप्त राशि अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दी जायेगी ।

9. **<u>अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण</u>**

अनुज्ञप्ति परिवार के किसी सदस्य/किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित नही किया जायेगा । अनुज्ञप्ति में कोई साझेदार भी नही रहेगा ।

10. **<u>एकरारनामा</u>**

अनुज्ञप्ति के अतिरिक्त अब कोई एकरारनामा नही होगा । पूर्व में किये गये एकरारनामा को समाप्त कर प्रपत्र - II में पुराने अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति शुल्क लेकर छः माह के अंदर उन्हें नया अनुज्ञापत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

11. **<u>अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र</u>**

अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा सभी अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को पहचान पत्र परिशिष्ट 3 एवं 4 के अनुसार निर्गत किया जायेगा । सभी आवश्यक वस्तुओं का उठाव अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा पहचानपत्र प्रस्तुत करने पर होगा ।

12. **<u>अनुज्ञप्ति में परिवर्तन</u>**

(i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक वस्तुओं का भंड़ारण अथवा अनुज्ञप्ति में वर्णित व्यापार स्थल से भिन्न व्यापार स्थल पर करना चाहते हो तो वैसी स्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी को आवेदन पत्र देगा ।

(ii) अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अन्दर जांचोपरान्त अनुज्ञप्ति में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु

(8)

आदेश देगें तथा उसकी प्रविष्टि अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञापत्र एवं कार्यालय में संधारित अनुज्ञा पंजी में की जायेगी ।

एक पक्ष के अन्दर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक परिवर्तन नही किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी परिवर्तित स्थान पर आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कर सकेगा ।

13. <u>उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को देय कमीशन का भुगतान</u>

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं को देय कमीशन आवश्यक वस्तुओं का उठाव/वितरण समाप्ति के दो माह के अंदर विक्रेताओं को भुगतान कराने का दायित्व अनुज्ञापन पदाधिकारी का होगा ।

14. <u>आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दोष सिद्धियों का परिणाम</u>

जब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) की धारा-3 के अधीन किये गये किसी आदेश के उल्लंघन के कारण किसी अनुज्ञप्तिधारी को न्यायालय द्वारा सिद्धदोषी ठहरा दिया गया हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा ।

परन्तु जहाँ दोष, सिद्धीकरण अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी गई हो तो अनुज्ञापन पदाधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, द्वारा आवेदन दिये जाने पर अनुज्ञप्ति प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

15. <u>अपील</u>

(i) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकान हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति जारी करने, उसका नवीकरण करने से इंकार करने अथवा अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण के अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति " सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 " के अन्तर्गत प्राधिकृत अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष उक्त आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के अन्दर अपील कर सकेगा और अपीलीय पदाधिकारी, जहां तक साक्ष्य हो, उक्त अपील का साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा ।

(ii) ऐसे किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जायेगा जबतक कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

(iii) अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान अपीलीय पदाधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि अपीलाधीन आदेश ऐसी अवधि तथा जिसे कंडिका (ii) के अधीन उक्त प्राधिकारी अन्य पक्षकार को मुक्तियुक्त अवसर देने के लिये आवश्यक समझे या इस अपील के निपटारे तक जो भी पूर्वत्तर हो, प्रभावी नही होगा ।

(iv) अपीलीय पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण आदेश अथवा अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्दीकरण से मुक्त करने हेतु तार्किक आदेश (Speaking Order) दिया जायेगा ।

16. <u>विमुक्ति</u>

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा या उनके निमित आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिये संचयन पर लागू नही होगा -

(i) केन्द्रीय सरकार

(ii) राज्य सरकार

(iii) राज्य सरकार के अधिकारी, विभाग, संस्थाएं या अन्य संगठन अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एजेन्सियां

(iv) कोई केन्द्रीय या राज्य स्तरीय सहकारी समिति

17. <u>निरसन</u>

(i) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001" के अन्तर्गत इस आदेश के अधिसूचित होने के पूर्व उचित मूल्य की दुकान के विक्रेताओं के विरूद्ध लंबित कार्रवाई तत्कालीन समय में लागू आदेश के अन्तर्गत निष्पादित किये जायेंगे ।

(ii) जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्रक्रिया, अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क, द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य संचालन, अनुज्ञप्तिधारी का कार्य अवधि एवं अवकाश, अनुज्ञप्ति का निलंबन तथा रद्दीकरण, तलाशी एवं जप्ती, दंड, अनुज्ञप्ति के निलंबन/रद्द होने के पश्चात आवश्यक वस्तुओं का व्ययन, अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण, एकरारनामा, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र, अनुज्ञप्ति में व्यापार स्थल का परिवर्तन एवं ''आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दोष-सिद्धियों का परिणाम" तथा अपील से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत्त पत्र, परिपत्र, आदेश, निदेश एतद द्वारा विलोपित समझे जायेंगे, परन्तु जन वितरण प्रणाली व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण एवं विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित आदेश, निदेश, पत्र एवं परिपत्र पूर्व की भाँति लागू रहेंगे ।

(iii) उचित मूल्य की दुकानों के अनुश्रवण के संबध में पूर्व में समय-समय पर निर्गत परिपत्र जो ''जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001" के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो, लागु रहेगा एवं ''जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के अंधीन अधिसूचित समझा जायेगा "।

(प्र04.वि.2-04/2001)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.2.07

(सुरेश कुमार वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 601 दिनांक - 15.02.07

प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को अंग्रेजी अनुवाद एवं अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की दो सौ प्रतियां अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

15.2.07

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक - 601 दिनांक - 15.02.07

प्रतिलिपि - सूचना पट, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना

सरकार के संयुक्त सचिव ।

E:\PDS control order_english_2.doc

प्रपत्र - I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिये आवेदन पत्र

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी

....

महोदय,

मैं "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ । अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है :-

1. आवेदक की विशिष्टियाँ -
   - (क) नाम : (ख) शैक्षणिक योग्यता :
   - (ग) पिता/पति का नाम : (घ) आयु :

2. आवेदक के निवास स्थान का पता (स्थायी तथा वर्त्तमान)
   - (क) मकान संख्या / होल्डिंग नं0 :
   - (ख) मोहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (ग) ग्राम / कस्बा / प्रखंड :
   - (घ) थाना :
   - (ड़) जिला :

3. व्यापार स्थल का विवरण
   - (क) ग्राम / वार्ड नं0 (मुहल्ला सहित), जहाँ के लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित हैं -
   - (ख) मकान / दुकान संख्या :
   - (ग) होल्डिंग नं0 :
   - (घ) क्षेत्रफल :
   - (ड़) खाता नं0........, खेसरा नं0 :
   - (च) चौहद्दी :
   - (छ) मुहल्ला / वार्ड नं0 :
   - (ज) ग्राम / शहर :
   - (झ) थाना :
   - (ञ) जिला :

4. दुकान का स्थान अपना है या : किराया का ? अगर किराया का है तो किरायानामा का प्रति संलग्न करें ।

5. क्या आवेदक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, विवरण दें ..

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंधन के कारण गत तीन वर्षो के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया है ?
7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी ठहराया गया है ?
8. क्या आवेदक के उपर कोई आपराधिक मामला लंबित है ?
9. क्या आवेदक आरक्षण का दावा करते हैं ? यदि हाँ तो आरक्षण कोटि के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
10. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
11. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं ? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें ।
12. क्या आवेदक के पास आटा-चक्की है ?
13. क्या आवेदक मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद, नगरनिगम एंव नगरपालिका का निर्वाचित सदस्य है ?

मैं .... एतद् द्वारा घोषण करता हूँ कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 13 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया हैं । भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

मैं, "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रपत्र - II

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान का अनुज्ञापत्र

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो (सम्बन्धित क्षेत्र के आपूर्ति निरीक्षक द्वारा अभिप्रमाणित एवं अनुज्ञापन पदा0 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित)

अनुज्ञप्ति संख्या ....
चालान संख्या .... तारीख ....
अनुज्ञप्तिधारी का नाम .... , पिता/पति का नाम ....
पता ....

कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व

1. "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों के अधीन श्री .... को जन वितण प्रणाली अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के क्रय, विक्रय और संवितरण को नियमित करने लिए आवश्यक वस्तुओं का भंडारण निम्नलिखित स्थान पर करने हेतु इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है -

भंडारण स्थान का विवरण

(क) खाता .... खेसरा .... होल्डिंग नं0 ....
(ख) दुकान का क्षेत्रफल ....
(ग) दुकान का विवरण ....
(घ) पता ....
(ड़) दुकान का चौहद्दी ....
(च) दुकान किराये पर है तो दुकान मालिक का नाम एवं पता ....

<u>आवश्यक वस्तुओं का विवरण</u>

(i) खाद्यान्न
(ii) खाद्य तेल
(iii) किरासन तेल
(iv) चीनी
(v) कपड़ा
(vi) अन्य वस्तुएं

(क) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में भंडार और विक्री पंजी संधारित करेगा । क्रमांक 2 में वर्णित आवश्यक वस्तुओं का मात्रा पंजियों में निम्न प्रकार प्रविष्टि करेगा -

(i) खाद्यान्न - क्विंटल या किलो ग्राम में
(ii) खाद्य तेल / किरासन तेल - लीटर में

(ख) अनुज्ञप्तिधारी भंडार पंजी में सभी प्रविष्टियां अगले दिन दुकान खुलने के पूर्व निश्चित रूप से पूर्ण कर लेगा ।

4. अनुज्ञप्तिधारी राजपत्रित अवकाश/साप्ताहिक बंदी के दिनों को छोड़कर, प्रतिदिन दुकान खोलेगा तथा "सूचना पट" दुकान के बाहर एवं "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट" दुकान के अन्दर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा । "सूचना पट" परिशिष्ट - 1 के अनुसार तथा "मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट "परिशिष्ट-2" के अनुसार बनायेगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी दुकान से सम्बद्ध बी0 पी0 एल0, अन्त्योदय और अन्नपूर्णा लाभान्वितों की सूची सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

6. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं का वितरण उनके हकदारी के अनुसार निर्धारित दर पर वितरण करेगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी, आवश्यक वस्तुओं को निर्धारित कीमत से उच्चतर कीमत पर सम्बद्ध उपभोक्ताओं को न बेचेगा और न ही बेचने का प्रस्ताव करेगा ।

8. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं का विक्री के पश्चात् प्रत्येक उपभोक्ता को कैशमैमो (परिशिष्ट-5 के अनुसार) देगा जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता लिखकर उनका हस्ताक्षर/निशान लेगा । कैशमैमो का कार्बन प्रति (द्वितीयक प्रति) भी मूल प्रति की तरह ही मुद्रित रहेगा जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का नाम, अनुज्ञप्ति संख्या, पता भी मुद्रित रहेगा ।

9. अनुज्ञप्तिधारी राशन कार्डधारी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पश्चात् उसके राशन कार्ड पर आपूर्ति की प्रविष्टि कर राशन कार्ड सम्बन्धित उपभोक्ता को लौटा देगा । अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता का राशन कार्ड अपने पास नही रखेगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी खाद्यान्न का उठाव करते समय सम्बन्धित गोदाम से उसका एक "संयुक्त नमूना" भी प्राप्त करेगा तथा उसे दुकान के अंदर सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी कारबार से सम्बन्धित ऐसी सूचना, जिसकी उससे मांग की जाय, सही- सही प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे आदेशों का पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार, आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा दिया जाय ।

12. अनुज्ञप्तिधारी अपने दुकान में आवश्यक वस्तुओं का भंडार तथा लेखाओं/पंजियों का निरीक्षण करने के लिए तथा आवश्यक वस्तुओं की परीक्षण हेतु उनके नमूना लेने के लिये निरीक्षी पदाधिकारी को सभी युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधाएं देगा ।

13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा "निरीक्षण पुस्तिका" और "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" संधारित की जायेगी । अनुज्ञप्तिधारी, खाद्यान्न की क्वालिटी, मात्रा एवं राशन लेने के दौरान पेश आई अन्य समस्याओं के सन्दर्भ में शिकायतें/सुझाव दर्ज करने हेतु उपभोक्ताओं को उनकी मांग पर "शिकायत/सुझाव पुस्तिका" उपलब्ध करायेगा ।

14. अनुज्ञप्तिधारी "बिहार राशन कूपन योजना, 2006" एवं "बिहार किरासन तेल कूपन योजना, 2006" के प्रावधानों का अनुपालन शत प्रतिशत करेगा ।

15. अनुज्ञप्तिधारी सभी अनुज्ञप्ति तथा सभी प्रकार के पंजी/पुस्तिका एवं कैशमेमो दुकान में ही रखेगा ।

16. अनुज्ञप्तिधारी सभी आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थिति में रखेगा तथा भूमि की नमी, वर्षा, कीटों, कृतकों, चिड़ियों, आग एवं ऐसे ही अन्य कारणों से इन वस्तुओं को होने वाली हानि से बचाने का आवश्यक उपाय करेगा ।

17. अनुज्ञप्तिधारी उर्वरकों, कीटनाशी औषधियों तथा विषैले रासायनिक पदार्थों के साथ खाद्यान्न का भंडारण नही करेगा ।

18. अनुज्ञप्तिधारी सही वजन एवं माप में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये तराजू, बटखरा एवं अन्य उपकरण का वार्षिक सत्यापन माप तौल विभाग से ससमय कराकर दुकान में रखेगा ।

19. अनुज्ञप्तिधारी मास के अन्त में आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण और अतिशेष स्टॉक का हिसाब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में देगा और उसकी प्रति ग्राम पंचायत को भी देगा ।

20. अनुज्ञप्तिधारी निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी को आवश्यक वस्तुओं के आवंटन तथा संवितरण के संबंध में बहियों या अभिलेखों का पेश करेगा और ऐसी जानकारी देगा जो निरीक्षी पदाधिकारी अथवा अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा मांगी जाय ।

21. कोई राशन कार्डधारक जो उचित कीमत की दुकान के स्वामी (अनुज्ञप्तिधारी) के अभिलेखों से उद्धरण अभिप्राप्त करना चाहता है, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित फीस रू0 10/- (दस) जमा करने एवं लिखित अनुरोध पर, लिखित अनुरोध एवं शुल्क प्राप्ति की तारीख से चौदह दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी, राशन कार्डधारक को अभिलेख के ऐसे उद्धरण प्रदान करेगा ।

22. यह अनुज्ञप्ति .... तक विधिमान्य होंगी ।

स्थान -

तारीख -/

(अनुज्ञापन पदाधिकारी)
नाम, पदनाम एवं कार्यालय मुहर

प्रपत्र - III

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति संख्या .... के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

महोदय,

मैं "सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के उपबन्धों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति संख्या .... के नवीकरण के लिये, इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टयां निम्न प्रकार है :-

1. चालान संख्या .... तारीख .... द्वारा निक्षिप्त नवीकरण शुल्क ..../ विलम्ब शुल्क ......
2. अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि -
3. अनुज्ञप्ति किस नाम से है :
4. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्व की गयी कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण -

मैं .... इसके द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है तथा उनमें कुछ भी नही छिपाया गया है ।

स्थान :

तारीख :

अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट - 1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) अदिश, 2001 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान (खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग)

"सूचना पट"

दिनांक - ....

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. पता :
3. वार्ड संख्या :
4. अनुज्ञप्ति संख्या :
5. दुकान खुलने का समय - : मार्च से अगस्त तक - 7.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक । सितम्बर से फरवरी तक - 8.00 बजे पूर्वाहन् से 2.00 बजे अपराहन तक ।

प्रत्येक सोमवार को दुकान बन्द रहेगी ।

(नोट :- साईज - 3' × 2' बोर्ड का आकार पीला रंग से उसका आधार तथा उस पर काला रंग से प्रविष्टि की जायेगी ।)

(यह दुकान के भीतर सुगोचर स्थान पर टंगेग

परिशिष्ट - 2

(मूल्य एवं भंडार प्रदर्शन पट)

1. जन वितरण प्रणाली के विक्रेता का नाम : दिनांक :

2. अनुज्ञप्ति संख्या :

3. <u>दुकान से सम्बद्ध राशन कार्ड</u> <u>आवंटन</u>

गेहूँ चावल कि0 तेल

(1) ए0 पी0 एल0 कार्डो की संख्या/ईकाई -
(2) बी0 पी0 एल0 राशन कार्डो की संख्या -
(3) अन्नपूर्णा राशन कार्डो की संख्या -
(4) अन्त्योदय राशन कार्डो की संख्या -

क्रमांक	वस्तु का नाम	आज का भंडार क्वीं.- कि.ग्राम	आज की प्राप्ति	कुल	दर प्रति किलो/लीटर	प्रति कार्ड/इकाई देय मात्रा	अभियुक्ति
1.	गेहूँ						
2.	चावल						
3.	चीनी						
4.	खाद्य तेल						
5.	किरासन तेल						
6.	अन्य						
7.							
8.							
9.							

4. स्थानीय पदाधिकारी का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या (उपभोक्ता जिन्हें शिकायत करेगा)

5. राज्य स्तरीय शिकायत कोषांग का नाम, पता, दूरभाष संख्या - जन शिकायत कोषांग, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, पुराना सचिवालय, पटना, दूरभाष संख्या - 0612-2222099

6. "शिकायत-सह-सुझाव पुस्तिका" दुकानदार के पास उपलब्ध है ।

नोट :- (i) सूचना पट का आकार - 4' × 2½' का होगा ।

(ii) "वस्तु का नाम" कॉलम में दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डो के अनुसार आवंटित वस्तु का नाम लिखा जायेगा ।

(iii) सूचना पट का आधार काला रंग से तथा उस पर उजला रंग से सभी प्रविष्टियां लिखी जायेगी ।

परिशिष्ट - 3

अनुज्ञप्तिधारी का पहचान पत्र का नमूना

कार्यालय का नाम :

पहचान पत्र संख्या-

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/ वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

1. जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम :
2. अनुज्ञप्ति संख्या :
3. पता :
4. वार्ड संख्या :
5. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर :
6. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक)

आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट - 4

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र का नमूना

कार्यालय का नाम .... पहचान पत्र संख्या ....

1. महिला/विकलांग एवं अन्य रोगग्रस्त

   जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम -

2. अनुज्ञप्ति संख्या-

3. पता -

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो	मनोनित प्रतिनिधि का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/ वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

4. मनोनीत प्रतिनिधि का नाम एवं पता-

5. मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर-

6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर-

7. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) -

आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट - 4

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का पहचान पत्र का नमूना

कार्यालय का नाम .... पहचान पत्र संख्या ....

1. महिला/विकलांग एवं अन्य रोगग्रस्त

   जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम -

2. अनुज्ञप्ति संख्या-

3. पता -

अनुज्ञप्तिधारी का फोटो	मनोनित प्रतिनिधि का फोटो

(स्थानीय मुखिया/वार्ड आयुक्त/ वार्ड पार्षद द्वारा फोटो को अभिप्रमाणित किया जायेगा)

4. मनोनीत प्रतिनिधि का नाम एवं पता-

5. मनोनीत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर-

6. अनुज्ञप्तिधारी का हस्ताक्षर-

7. मान्य तिथि (अनुज्ञप्ति नवीकरण की तिथि तक) -

आपूर्ति निरीक्षक का हस्ताक्षर	पणन पदाधिकारी/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अनुज्ञापन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

परिशिष्ट - 5

उपभोक्ता को दिये जाने वाले कैशमेमो का नमूना

कैशमेमो

जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम, पता, अनुज्ञप्ति संख्या, क्रमांक, दिनांक

ग्राहक का नाम एवं पता -

राशनकार्ड संख्या ....

राशन कार्ड का प्रकार (APL/BPL/AAY/AY) ---------

इकाई ....

आपूर्ति की गयी वस्तु का नाम दर ....

वजन एवं माप -

प्राप्त राशि -

उपभोक्ता का हस्ताक्षर/निशान विक्रेता का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- आपूर्ति किये गये प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिए कैशमेमो निर्गत किया जायेगा । उस पर कार्डधारी का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान लिया जायेगा तथा निशानकर्त्ता के नाम को अंकित किया जायेगा । कैशमेमो भोलूम को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा संधारित संख्या का प्रमाण पत्र अंकित किया जायेगा ।